तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 115/2022 बअनवान इलमदीन बनाम कासमदीन इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

आदेश

दिनांक 19.12.2024

उपस्थिति

1. श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 59/2020 अनवान कासमदीन बनाम इलमदीन में पारित आदेश दिनांक 07.07.2020 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 18 मई 2022 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नियमित वाद धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वर्ष 2018 में पेश किया था कि ग्राम घंटियाली के खसरा नं. 268/2 रकबा 15 बीघा व खसरा नं. 268/3 रकबा 15 बीघा का बंटवाड़ा किया जावे। रेस्पोडेंट प्रार्थी द्वारा वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 115/2022 बअनवान इलमदीन बनाम कासमदीन इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपीलार्थी को बिना सूचित किये उसी वाद में धारा 212 का प्रार्थना. पत्र पेश किया जिसकी बिना कोई नकल दिये बिना सुनवाई का अवसर दिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण रकबे पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। वादी अपीलार्थी द्वारा धारा 212 का जवाब भी पेश कर दिया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज दिन तक धारा 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण नहीं किया। अपीलार्थी वादी रेकर्डेड सह खातेदार है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश के कारण अपीलार्थी के परिवार के सदस्य खातू पत्नी हसणे खा व असरफ पत्नी यारमोहम्मद के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्य रुक गया है। निर्माण कार्य नहीं करने के कारण पंचायत समिति बाप द्वारा अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध एफ. आई.आर. दर्ज करवाने का नोटिस दिया है। इस कारण न्याय हित में अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना जरुरी है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। अपीलांट के परिवार के सदस्य के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत होन पर अपीलांट द्वारा निर्माण कार्य शुरु किया तो हल्का पटवारी ने बताया कि सहायक कलक्टर बाप से वादग्रस्त आराजी के संबंध में स्थगन आदेश पारित किया गया है। तब अपीलांट द्वारा दिनांक 10.05.2022 को नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 11.05.2022 को मिलने पर प्रथमबार अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं थी।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार फरमायी जाकर स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 जुलाई 2020 को अपास्त किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्तागण ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में विचारण न्यायालय में वाद विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जो अदालत हाजा के समक्ष पोषणीय नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त भूमि अपीलांट की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें अपीलांट का 1/2 हिस्सा निहित है। ग्राम पंचायत घंटियाली के नोटिस दिनांक 14.03.2021 के मुताबिक अपीलांट की पुत्रवधु अशरफ पत्नी यारमोहम्मद एवं खातु पत्नी हसणे खां के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित होकर आवास स्वीकृत हुए है। अपीलाधीन आदेश के कारण इनका निर्माण कार्य रुक गया है। अपीलांट 1/2 हिस्से का काबिज सहखातेदार होने के कारण अपने पुराने कच्चे आवासों की जगह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता रखने पर स्वीकृत पक्के आवास का निर्माण करना चाहता है। अपीलांट गरीब ग्रामीण काश्तकार होने से अपीलाधीन आदेश की आड़ में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 115/2022 बअनवान इलमदीन बनाम कासमदीन इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उनके आवास निर्माण को रोका जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में प्रतीत होते है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध है। मामला अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 23 मई 2022 के जरिये अपीलांट को त्वरित राहत प्रदान करते हुए अपीलाधीन आदेश में अपने हक-हिस्से की भूमि में स्वीकृत आवास निर्माण की छूट प्रदान की जा चुकी है, जिसे निरंतर रखते हुए मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर अंतिम निस्तारण हेतु निर्देशित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 जुलाई 2020 में अपीलांट को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास को पूर्ण किये जाने की छूट को निरंतर रखते हुए मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर